भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3573

11.08.2025 को उत्तर के लिए

'टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व' योजना

3573. एडवोकेट डीन कुरियाकोसः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने "टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व" (टीओटीआर) योजना के संबंध में कोई दिशानिर्देश, नीति दस्तावेज या परिचालन रूपरेखा जारी की है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या टीओटीआर के रूप में नामित क्षेत्रों को कोई कानूनी या प्रशासनिक विशेष दर्जा प्रदान किया गया है/प्रदान किया जाना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का टीओटीआर क्षेत्रों को चिह्नित करने, प्रबंधन और निगरानी के लिए व्यापक दिशानिर्देश प्रकाशित करने का विचार है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को केरल सरकार या वहाँ की किसी एजेंसी से केरल के उच्च घनत्व वाले बाघ आवासों से अन्य राज्यों के निम्न-घनत्व वाले आवासों में बाघों के स्थानांतरण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ड.) क्या केरल में लोगों पर हमलों की तीव्रता और आवृति को कम करने के उद्देश्य में बाघों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एमओपी) या अन्य जंगली जानवरों के लिए संबंधित दिशानिर्देशों में संशोधन या सरलीकरण की मांग के लिए उक्त राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने बाघ अभयारण्यों के बाहर बाघों के प्रबंधन के लिए एक परियोजना तैयार की है, जो मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए एक निवारक कार्यनीति है। परियोजना दस्तावेज अखिल भारतीय बाघ आकलन कार्यकलाप के 5वें चक्र से एकत्रित वैज्ञानिक आंकड़ों के साथ-साथ राज्यों से एकत्रित मानव-वन्यजीव संघर्ष संबंधी आंकड़ों पर आधारित है।

मंत्रालय इस पिरयोजना पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को केरल राज्य से बाघों के स्थानांतरण का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****